Court of Sub Judge 1st Bagaha ,West Champara

P.S 49/2017

22.07.2022 वादिनी की पैरवी है तथा प्रतिवादिनी संख्या–3 की नवीन शक्तिपत्र के साथ पैरवी है एवं इस आशय का एक आवेदन दाखिल किया गया है, कि प्रतिवादिनी को वादिनी के रूप में पक्षातंरित किया जाय। वाद पुकारा गया। पुकार पर वादिनी तथा प्रतिवादिनी संख्या–3 के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादिनी संख्या–3 विमला देवी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त आवेदन को प्रचालित करते हुए उनका कथन है कि वादिनी ने यह वाद पैतृक सम्पति का बंटवारा हेतु दाखिल किया है। उक्त वाद में प्रतिवादिनी संख्या–3 जो वादिनी की बहन है जो उक्त वाद में उपस्थित होकर अपना लिखित कथन दाखिल कर चुकी है तथा वाद में लगातार पैरवी कर रही है एवं संघर्ष करते आ रही है। उनका यह भी कथन है कि वादिनी के द्वारा वाद दाखिल करने के पश्चात से ही इस वाद में समुचित अभिरूचि नहीं दिखा रहे है, चूंकि वादिनी प्रतिवादी संख्या–1 एवं 2 के मेल में आकर जानबूझकर एक योजना के तहत प्रतिवादी संख्या–1 एवं 2 की उपस्थिति हेतु उक्त वाद में उचित कदम नहीं उठा रहे है कि यदि वादी की ओर से पैरवी नही की जाएगी तो उक्त वाद पैरवी के अभाव में खारिज हो जाएगी जिससे प्रतिवादी संख्या–3 को अपूर्णीय क्षति होगी, चूंकि प्रतिवादी संख्या–3 वादी की बहन है और वह परिवार की पैतृक सम्पति में हिन्दू विधि की अधीन बराबर की अंशधारी है, इसलिए वह उक्त वाद में संघर्ष करने हेतु वादी के रूप में पक्षांतरित करने हेतु निवेदन करती है। वादी की ओर से उक्त आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कि गई है।

प्रतिवादी संख्या–3 के आवेदन पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी ने यह वाद पूर्वजों के पैतृक सम्पति को बंटवारा हेतु लाया है तथा उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या–3 उपस्थित होकर अपना लिखित कथन दाखिल कर चुकी है, एवं लगातार पैरवी कर रही है। प्रतिवादी संख्या–1 एवं 2 आज तक उपस्थित नहीं हुये है, चूंकि प्रतिवादी संख्या–3 वादी की बहन है और वादी की प्रतिवादी संख्या–1 एवं 2 के मेल में आकर उपस्थिति हेतु उचित कदम नहीं उठा रहा है, चूंकि यह पैतृक सम्पति है और हिन्दू वधि के अधीन पैतृक सम्पति में परिवार के प्रत्येक पक्ष बराबर के अंशधारी है। बंटवारा वाद में सभी पक्षों को बराबर का हक एवं हिस्सा के अधिकारी होते है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथपत्र एवं नवीन शक्तिपत्र के साथ दाखिल किया गया है तथा वादी की ओर से उक्त आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कि गई है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण अभिलेख के परिशीलन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि वादपत्र में वर्णित कुल पैतृक सम्पति में प्रतिवादी संख्या–3 इस बंटवारा वाद में सह हिस्सेदार है

P.S- 49/17

लगातार.................

22.07.2022................

अतः न्यायहित में प्रतिवादी संख्या–3 का उक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या–3 को वादी संख्या–3 के रूप में स्थानांतरण कर पक्षाअंतरण करने हेतु आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या–3 विमला देवी का नाम प्रतिवादी के कॉलम से विलोपित कर वादी के कॉलम में वादिनी संख्या–3 के रूप में प्रविष्ठ करें। वाद दिनांक 04.08.22. वास्ते निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई।

लेखापित 22.07.22

अवर न्यायाधीश प्रथम